संख्या–वे0आ0–2–२०६2/ दस–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : ०8 सितम्बर, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–2 में राजकीय विभागों के तकनीशियन संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के तकनीशियन संवर्ग के सम्बन्ध में नवम् प्रतिवेदन भाग–2 में दी गयी संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :––

(क) प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन के पदों पर दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य क्रमशः वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 / – तथा वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 / – यथावत बनाये रखे जायें।

(2) प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर रू0 3200-4900 का उच्चीकृत / संशोधित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1, रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 / –) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाये। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तमान पदधारकों को सी0एच0सी0 तथा उच्च स्तर के अस्पतालों का कार्य अनुभव प्राप्त कराने हेतु उक्त अस्पतालों में उनकी तैनाती की व्यवस्था भी की जाय। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर वर्तमान में कार्यरत पदधारकों, जिन्होंने इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों तथा सी0एच0सी0 तथा उच्च स्तर के अस्पतालों में 06 माह का कार्य अनुभव हो, में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाये।

(3) जन चिकित्सा के अन्य विभागों सहित पशु चिकित्सा के अन्तर्गत उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के पदों पर शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय। सीधी भर्ती हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फेकल्टी/महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का डेढ़ वर्षीय प्रमाण पत्र/डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित की जाय और सम्बन्धित पदों पर समान वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) अनुमन्य कराये जायें। सम्बन्धित विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता के अनुरुप 03 माह के सेवा कालीन विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी जा सकती है। सभी विभागों में इस स्तर के विभिन्न पदनामों (प्रयोगशाला सहायक, प्राविधिज्ञ सहायक तथा प्राविधिज्ञ आदि) से उपलब्ध पदों का पदनाम प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन) रखा जायें।

(4) स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपकमों/निगमों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणो के अन्तर्गत विद्यमान प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन)/प्रयोगशाला सहायक संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां उक्त संस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

(5) प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ (लैब टेक्नीशियन) संवर्ग के पदों पर विभिन्न भत्तों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां यथा स्थान अलग से दी जायेगी।

(ख) एक्स–रे टैक्नीशियन

(1) प्रदेश के एक्स–रे टेक्नीशियन पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में रू0 5000–8000 के वर्तमान वेतनमान का सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (रू0 9300–34800) तथा ग्रेड वेतन रू0 4200/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से दिया जाय।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक्स–रे टेक्नीशियन संवर्ग में वरिष्ठ एक्स–रे टेक्नीशियन का पर्यवेक्षीय पद वेतनमान रु0 7450–11500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4600/– में कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सृजित किया जाय।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक्स–रे टेक्नीशियन संवर्ग में मुख्य एक्स–रे टेक्नीशियन के पर्यवेक्षीय पद के सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विभाग/संवर्ग की कार्यात्मक आवश्यकता/कार्यो की गुणवत्ता के आलोक में परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाय।

(4) स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणो के अन्तर्गत विद्यमान एक्स–रे टेक्नीशियन संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां उक्त संस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

(5) एक्स–रे टेक्नीशियन संवर्ग के पदों पर विभिन्न भत्तों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां यथा स्थान अलग से दी जायेगी।

(ग) अन्य टैक्नीशियन

(1) लैब टेक्नीशियन/एक्स–रे टेक्नीशियन के पदों को छोडकर अन्य टेक्नीशियन संवर्ग के पदों पर निम्न व्यवस्था रखी जाय :––

(I) इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा सम्बन्धित ट्रेड में डेढ़ वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की अर्हता के साथ रू0 4000–6000 का वेतनमान (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/–) अनुमन्य कराया जाय।

(II) इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा सम्बन्धित ट्रेड में डेढ़ वर्ष या डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की अर्हता निर्धारित होने की स्थिति में रू0 4500–7000 का वेतनमान (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) अनुमन्य कराया जाय।

(3) टेक्नीशियन के जिन ट्रेड्स के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था स्टेट मेडिकल फैकल्टी/स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में नहीं हैं उनके सम्बन्ध में प्रशिक्षण की व्यवस्था वेतन समिति (1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आलोक में की जाय।

(4) प्रदेश में अन्य टेक्नीशियन के संवर्ग में उच्च स्तर के पदों के सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाय।

(5) स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणो के अन्तर्गत विद्यमान सम्बन्धित टेक्नीशियन संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां उक्त संस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या—वे0आ0—2—२०६२ (1) / दस—54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०—69 सा० वित्त—10.09.2010—(1015)—2000 प्रतिया (क० / ट्रे० / आफ०)।